कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

हरियाणा सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 में राज्य के बजट अनुमानों की तुलना में वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरण की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा संरचनात्मक प्रोफाइल का विश्लेषण प्रकट करता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के लेखापरीक्षित लेखों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ों जैसे कि आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित, यह प्रतिवेदन पांच अध्यायों में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 1 प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है और अंतर्निहित डेटा सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के मैक्रो-राजकोषीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2 राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण प्रोफ़ाइल और राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 राज्य के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा राज्य सरकार की विनियोजन और आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मामलों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन और इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

अध्याय 1: विहंगावलोकन

राजस्व घाटा जो 2020-21 के दौरान ₹ 22,385 करोड़ था घटकर 2021-22 के दौरान ₹ 20,333 करोड़ हो गया, जो कि ₹ 29,194 करोड़ के बजट प्रक्षेपणों से कम था।

[अनुच्छेद 1.5]

राजकोषीय घाटा जो 2020-21 में ₹ 29,486 करोड़ था, 2021-22 के दौरान बढ़कर ₹ 31,778 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा, मध्य अवधि राजकोषीय नीति में 3.83 प्रतिशत और बजट प्रक्षेपणों के नियत लक्ष्य के विरूद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.55 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 1.5]

पेंशन स्कीम में कम योगदान, समेकित ऋण शोधन निधि में योगदान न होना और खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राजकीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज का समायोजन न होने के कारण राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ₹ 737.14 करोड़ कम दर्शाया गया।

[अनुच्छेद 1.6.1]

राज्य के कुल लंबित ऋणों/देयताओं को उचंत, विविध एवं प्रेषण शेष के लेखों में सम्मिलित न करके ₹ 556 करोड़ कम दर्शाया गया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता 0.06 प्रतिशत कम दर्शाई गई है।

[अनुच्छेद 1.6.2]

अध्याय 2: राज्य के वित्त

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वार्षिक वृद्धि दर 2017-18 में 19.43 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 15.59 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि के दौरान राज्य का स्व कर राजस्व 29.87 प्रतिशत बढ़ गया, भारत सरकार से सहायता अनुदान 46.56 प्रतिशत बढ़ गया तथा केन्द्रीय कर अंतरण 33.21 प्रतिशत बढ़ गया।

[अनुच्छेद 2.3.2.1]

राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 89,946 करोड़ से नौ प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 98,425 करोड़ हो गया। प्रतिबद्ध व्यय जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल हैं, कुल राजस्व व्यय का 54.07 प्रतिशत है। 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय ₹ 9,535 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.21 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 9.69 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 2.4.2]

पूंजीगत व्यय ₹ 11,046 करोड़ था जो मुख्य रूप से जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा खाद्य, भंडार एवं भंडारण पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण 2020-21 में छः प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 के दौरान कुल व्यय का 10 प्रतिशत हो गया।

[अनुच्छेद 2.4.3.1]

31 मार्च 2022 तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारिताओं में ₹ 37,865.68 करोड़ निवेशित थे। पिछले पांच वर्षों में इन निवेशों

पर औसत प्रतिलाभ 0.71 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2017-22 के दौरान अपने उधारों पर 7.75 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया।

[अनुच्छेद 2.4.3.2]

वर्ष के दौरान सहकारी चीनी मिलों और हरियाणा राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड तथा बिजली कंपनियों को अधिक ऋण देने के कारण 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण एवं अग्रिमों में 5.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 के आरंभ में सहकारी चीनी मिलों के विरूद्ध ₹ 3,877.95 करोड़ का ऋण बकाया था। ₹ 4,509.53 करोड़ की बकाया राशि के साथ मूलधन की कोई वसूली नहीं हुई थी।

[अनुच्छेद 2.4.3.2(iv)]

राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि और राज्य पूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत उपलब्ध ₹ 5,542.62 करोड़ की निधियों का निवेश नहीं किया।

[अनुच्छेद 2.5.2.2, 2.5.2.4 एवं 2.5.2.5]

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2017-18 में ₹ 1,64,076 करोड़ से 60.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,63,950 करोड़ हो गई, इसके मुख्य कारण लोक ऋणों (₹ 87,943 करोड़) और लोक लेखा देयताओं (₹ 11,931 करोड़) में बढ़ोतरी थी। कुल वित्तीय देयताओं में पिछले वर्ष की तुलना में 10.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2017-18 में 25.68 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 29.47 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं राजस्व प्राप्तियों का 2.96 गुणा और राज्य के अपने संसाधनों का 4.88 गुणा थीं।

[अनुच्छेद 2.6.1]

अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन

2021-22 के दौरान, ₹ 1,95,689.44 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजनों के विरूद्ध ₹ 1,50,162.15 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45,527.29 करोड़ की समग्र बचत थीं। इनमें से 38 मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत दर्ज करते हुए, ₹ 44,115.90 करोड़ की बचत की गई। 2019-20 की अवधि से संबंधित ₹ 153.39 करोड़ और 2020-21 से संबंधित ₹ 21.93 करोड़ के अधिक व्यय के साथ-साथ एक अनुदान और एक विनियोग के अंतर्गत ₹ 63.47 करोड़ के अधिक व्यय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित करवाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुच्छेद 3.1, 3.3.5(i), 3.3.6 एवं 3.4.1]

2017-22 के दौरान 31 अनुदानों और दो विनियोजनों में निरंतर बचत दर्ज की गई। 34 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान से कम रहा। 18 अनुदानों के अंतर्गत 24 प्रमुख शीर्षों में 52 प्रतिशत व्यय मार्च 2022 में किया गया

जो वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता को दर्शाता है जो कि वित्तीय औचित्य के अननुपालन को प्रदर्शित करता है।

[अनुच्छेद 3.3.2, 3.3.5(ii) एवं 3.4.4]

तीन अनुदानों अनुदान संख्या 06-वित्त, अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य तथा अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से पता चला कि राज्य सरकार की बजटीय एवं वित्तीय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि 2021-22 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान का क्रमशः 74 प्रतिशत, 80.72 प्रतिशत और 33 प्रतिशत था। अनुदान संख्या 13-स्वास्थ्य के संबंध में, इक्कीस योजनाओं के लिए ₹ 965.14 करोड़ की कुल बजट राशि का अभ्यर्पण किया गया जबकि अनुदान संख्या 32-ग्रामीण विकास एवं समुदाय के अंतर्गत 34 योजनाओं में बचत 50 प्रतिशत से अधिक थी।

[अनुच्छेद 3.5.1, 3.5.2 एवं 3.5.3]

अध्याय 4: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार

सरकारी विभागों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत एकत्रित उपकर को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से लिए बिना हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड/हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रबंधन बोर्ड/हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड/हरियाणा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के मामले में अधिनियम में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है और निधि की लेखापरीक्षा की जा रही है। परन्तु, अन्य निधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है।

[अनुच्छेद 4.1]

31 अगस्त 2022 को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किए गए ₹ 18,301.02 करोड़ के अनुदानों से संबंधित 2,831 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। 95 स्वायत निकायों/प्राधिकरणों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, के 275 वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2022 तक बकाया थे।

[अनुच्छेद 4.6 एवं 4.16]

राज्य ने भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी और प्रत्येक ऋणी की शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी।

[अनुच्छेद 4.13]

राज्य सरकार ने ₹ 68.64 लाख की राशि के सरकारी धन से आवेष्टित दुर्विनियोजन, दुरुपयोग, इत्यादि के 51 मामले सूचित किए, जिन पर अक्तूबर 2022 तक अंतिम कार्यवाही लंबित थी। इनमें से 35 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे।

[अनुच्छेद 4.19]

अध्याय 5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (रा.सा.क्षे.उ.) के नवीनतम निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। इस क्षेत्र को ₹ 52,314.26 करोड़ के कुल निवेश का 88.95 प्रतिशत (₹ 46,531.51 करोड़) प्राप्त हुआ था।

[अनुच्छेद 5.4.1]

2020-21 में अपने नवीनतम वित्तीय विवरणों में लाभ दर्ज करने वाले 19 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विरूद्ध 2021-22 के दौरान 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे। 2020-21 में दर्ज किया गया लाभ ₹ 1,698.89 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 648.75 करोड़ हो गया। लाभ अर्जित करने वाले 20 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) भी 2020-21 में 19 लाभ अर्जित करने वाले राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के 36.97 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में घटकर 10.32 प्रतिशत हो गया। उनके नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार 2021-22 में सभी 30 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के लिए इक्विटी पर रिटर्न 1.41 प्रतिशत था।

[अनुच्छेद 5.5.1]

अपने नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार 2021-22 के दौरान नौ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹ 459.65 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 395.08 करोड़ की हानि (85.96 प्रतिशत) के लिए हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो ऊर्जा एवं विद्युत विभाग में क्रियाशील है। दो राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड), जिन्होंने 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया था, को 2021-22 में हानि हुई है। जबकि तीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड और हरियाणा वित्त निगम) ने 2020-21 में हानि उठाई थी और 2021-22 के दौरान लाभ दर्ज किया।

[अनुच्छेद 5.7.1]

31 मार्च 2022 तक, 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे जिनमें कुल संचित हानि ₹ 28,237.99 करोड़ थी। इन 13 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से सात राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने उपलब्ध नवीनतम वित्तीय परिणामों के अनुसार ₹ 425.02 करोड़ की हानि उठाई। छः राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने अंतिम रूप दिए गए अपने नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 27,277.63 करोड़ की हानि संचित की थी।

[अनुच्छेद 5.7.2]

केवल 10 सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2021-22 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। 23 सरकारी कंपनियों के लेखे एक से पांच वर्ष की अवधि से बकाया थे।

[अनुच्छेद 5.11.2]